कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक/ 63/एक-20-1/2013 बलौदाबाजार, दिनांक 12-04-2021

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार के आदेश क्र 771/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2021 बलौदाबाजार दिनांक 09.04-2021 के अनुसार सम्पूर्ण बलौदाबाजार जिले के दिनांक 11.04.2021 को शाम 6.00 बजे से दिनांक 21.04.2021 प्रातः 6.00 बजे तक कन्टेमनेन्ट जोन घोषित किया गया है, तत्संबंध में माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय के आदेश क्र. 66(Mis) बिलासपुर दिनांक 05.04.2021 की कण्डिका 11 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए, इस स्थापना के अंतर्गत जिला मुख्यालय बलौदाबाजार एवं बाह्य न्यायालयों का सामान्य क्रियाकलाप स्थगित किया जाता है, इस अवधि में न्यायालयों में कार्य सम्पादन की व्यवस्था निम्नानुसार होगीः-

1. इस अवधि में न्यायालयों का सामान्य क्रियाकलाप स्थगित रहेगा और अत्यंत आवश्यक कार्य ही न्यूनतम अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से दोपहर बाद 3:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य संपादित किये जाएंगे।

2. इस अवधि में मात्र अत्यावश्यक प्रकरणों की ही सुनवाई की जायेगी और मामले के अत्यावश्यक होने या न होने के संबंध में कार्यालय आदेश क्र. 54/एक-20-1/2013 दिनांक 20.04.2020 के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रकृति के मामलों के निर्धारण का विनिश्चय वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी श्री ऋषि कुमार बर्मन, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार द्वारा किया जावेगा, कि मामाला अत्यंत आवश्यक प्रकृति का है या नहीं।

3. इस अवधि में रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा, दण्ड के स्थगन संबंधी प्रकरण अंतर्गत धारा-389 (1) द.प्र.सं. एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1,2 से संबंधित मामलों की सुनवाई की जावेगी।

4. इस अवधि में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-सीमा में निराकृत किये जाने वाले मामलों की सुनवाई संबंधित न्यायालय नियमित रूप से न्यूनतम स्टॉफ के साथ संपादित करेंगे, इन प्रकरणों की सुनवाई पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।

5. इस अवधि में डयूटी हेतु नामित न्यायिक अधिकारीगण के अतिरिक्त अन्य न्यायिक अधिकारीगण अपने घर से आवश्यकतानुसार कार्य का संपादन करेंगे।

6. इस अवधि में समस्त न्यायिक अधिकारी/कर्मचारीगण मुख्यालय में ही उपस्थित रहेंगे और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीद्वारा सूचित किये जाने पर तत्काल कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।

7. दिनांक 12.04.2021 से 21.04.2021 तक नियत प्रकरणों की सुनवाई इस कार्यालय के विविध आदेश क्र. 09/एक–20–1/2013, बलौदाबाजार दिनांक 06.04.2021 की कण्डिका 12 अनुसार नियत आगामी तारीख को होगी।

8. इस अवधि में किशोर न्याय बोर्ड, बलौदाबाजार के प्रधान न्यायाधीश कार्यव्यवस्था के अनुरूप न्यूनतम स्टॉफ के साथ अत्यावश्यक कार्य का संपादन करेंगे। इस आदेश द्वारा की गई कार्यव्यवस्था दिनांक 12.04.2021 से 21.04.2021 तक मान्य होगी।

sd/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ०ग०)

पृष्ठांकन क्रमांक 382/एक–20–1/2013 बलौदाबाजार, दिनांक 12–04–2021

प्रतिलिपिः–1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार।

3. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी. पॉक्सो एक्ट) बलौदाबाजार।

4. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भाटापारा।

5. चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भाटापारा।

6. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, बलौदाबाजार।

7. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, कसडोल/भाटापारा।

8. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बलौदाबाजार/सिमगा/बिलाईगढ़/भटगांव।

9. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ बलौदाबाजार/भाटापारा/कसडोल/बिलाईगढ/ भटगांव/सिमगा।

10. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार की ओर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ०ग०)